सत्यमेव जयते

नागरिक अधिकार पत्र

श्रम विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

श्रम विभाग का उद्देश्य श्रमिक कल्याण, औद्योगिक शांति एवं समृद्धि में वृद्धि, नियोजक एवं श्रमिकों के मध्य स्वस्थ, सौहार्दपूर्ण व सहयोगात्मक औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना करना है। वर्तमान औद्योगीकरण के युग में उत्पादन की आधुनिकतम एवं विशिष्टतम प्रणालियों/तकनीक के उद्‌गम के फलस्वरूप औद्योगिक समस्याओं की प्रकृति तथा संख्या में अत्यधिक विस्तार हुआ है तथा औद्योगिक शांति कायम रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। ऐसी परिस्थितियों में श्रमिकों एवं नियोजकों की अपेक्षाओं के अनुरूप ''श्रम विभाग'' की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

विभाग जहां श्रमिकों को देय विधिक हित–लाभों की रक्षा कर 'श्रम कल्याण' के लिए कृत संकल्प है, वहीं श्रमिकों एवं नियोजकों के मध्य उत्पन्न औद्योगिक विवादों में मध्यस्थ की भूमिका अदा कर औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है। नियोजक एवं श्रमिकों के मध्य मधुर औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना के साथ–साथ विभाग महिला एवं बाल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा एवं उनके कल्याणार्थ भी प्रयासरत है। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के माध्यम से बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था भी विभाग की निगरानी में प्रगति पर है।

विभाग श्रमिकों को वेतन, अवकाश, बोनस, उपादान आदि परिलाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित कर उनकी कार्य दशाओं पर भी निगरानी का कार्य करता है। असंगठित श्रमिकों का हित संरक्षण व कार्य के दौरान दुर्घटना से क्षति/मृत्यु की स्थिति में उसे/उसके आश्रितों को मुआवजा राशि दिलाने का प्रयास करता है।

श्रम विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य/दी जाने वाली सेवाऐं

क्र. सं.	विभाग के कार्य/सेवाएं	निष्पादन प्रक्रिया	निस्तारण की समयसीमा
1.	औद्योगिक शिकायत/विवादों का निस्तारण	**समझौता अधिकारी स्तर पर कार्यवाही** :श्रमिकों की छंटनी, सेवामुक्ति, बर्खास्तगी, बोनस, मजदूरी, भत्ते, छुट्टियां, हड़ताल, धरना, तालाबन्दी आदि संबंधी शिकायत/ विवाद, मांग पत्र प्राप्त होने पर समझौता वार्ता के जरिये निस्तारण करना। पक्षकारों के मध्य सहमति की स्थिति में समझौता दर्ज करना तथा असहमति की स्थिति में असफल वार्ता प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। **राज्य सरकार स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही :** 1. पक्षकारों की सहमति पर विवाद को पंच निर्णय एवं बोर्ड ऑफ कन्सीलियेशन के समक्ष भेजना। 2. विवाद न्याय निर्णयार्थ श्र.न्या./औ. न्यायाधिकरण को रैफर करना तथा रैफर नहीं होने पर पक्षकारों को सूचित करना। 3. औद्योगिक शांति कायम रखने के लिए धारा–10(3), धारा 10(के) के तहत आदेश जारी करना। 4. अवार्ड्स का पब्लिकेशन, अवार्ड की पालना करवाना, पालना नहीं होने पर अभियोजन कार्यवाही करना व श्रमिकों की बकाया राशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना।	औ0शि0– 1–3 माह औ0वि0– 14 दिवस पक्षकारों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है।
2.	न्यूनतम मजदूरी निर्धारण एवं पुनरीक्षण	जन सामान्य के सुझावों/आपत्तियों तथा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारण/पुनरीक्षण की कार्यवाही की जाती है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अभिवृद्धि के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में कम से कम एक बार।
3.	श्रम कानूनों के तहत न्यायिक कार्य	विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत प्राप्त दावों का अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत निस्तारण किया जाता है।	वेतन भुग0 अधि0– 3 माह अन्य श्रम कानूनों में समरी ट्रायल के जरिये शीघ्र निस्तारण।
4.	बाल श्रमिकों का सर्वे, शिक्षण एवं पुनर्वास कार्य	राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना राज्य के 29 जिलों में स्वीकृत है 27 जिलों में संचालित व 2 जिलों में आरम्भ होने की प्रक्रिया में है। परियोजना के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 9–14 वर्ष के बाल श्रमिकों को कार्य से हटाकर 3 वर्ष में 5वीं कक्षा तक विशेष विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है तथा कक्षा 6 में राजकीय विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाता है। तीन वर्ष की अवधि में अध्ययनरत छात्रों को 100 रू0 प्रतिमाह स्टाईपण्ड तथा पोषाहार दिए जाने का प्रावधान है।	सर्वे–परियोजना संस्था के माध्यम से 2 वर्ष में एक बार। शिक्षण एवं पुनर्वास– 3 वर्ष में 5वीं कक्षा तक की शिक्षा के पश्चात् पुनर्वास।

5.	बंधक श्रमिकों का सर्वे/ पुनर्वास का कार्य	बंधक श्रम (उत्सादन) अधिनियम/नियमों के तहत बंधक श्रमिकों का सर्वे करवाकर चिन्हित बंधक श्रमिकों को जिला प्रशासन के माध्यम से मुक्त कराया जाता है तथा केन्द्र सरकार की पुनर्वास योजना के तहत उन्हें 1000/–रूपये तात्कालिक सहायता, 19000/– रूपये का आर्थिक सहयोग पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में भी मुक्त बंधक श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाता है।	सामान्य सर्वे– वर्ष में दो बार। पुनर्वास– तत्काल।
6.	विश्वकर्मा पेंशन योजना।	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए श्रमिक के अंशदान के बराबर, अधिकतम 1000/– रूपये वार्षिक अंशदान राशि का राज्य सरकार द्वारा वहन एवं 60 वर्ष के पश्चात् पेंशन देय।	कोई समय सीमा नहीं है।
7.	मंहगाई सूचकांक जारी करना	औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिएश्रम ब्यूरो शिमला की सूचना के आधार पर मंहगाई सूचकांक जारी करना।	प्रत्येक 6 माह में
8.	प्रवर्तन कार्य	1. श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन फॉलोअप अधिकारी को प्रस्तुत करना। 2. अधिकारी द्वारा फॉलोअप कार्यवाही। 3. अनुपालना नहीं होने पर अभियोजन दायर करना।	1. माह के अंत तक 2. आगामी माह के अंत तक। 3. 6 माह तक।

9. बोर्डस् एवं कमेटीज की बैठकें आयोजित करनाः–

क्र.सं.	बोर्ड/समिति का नाम	अध्यक्षता
1.	श्रम सलाहकार मण्डल	मा0 श्रम मंत्री
2.	राज0 राज्य ठेका श्रम सलाहकार मण्डल	मा0 श्रम मंत्री
3.	राज्य स्तरीय समान पारिश्रमिक समिति	मा0 श्रम मंत्री
4.	राज्य स्तरीय स्थाई श्रम समिति	मा0 श्रम मंत्री
5.	मणिसाना वेजबोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति एवं अनुपालना की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति	मा0 श्रम मंत्री
6.	न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल	प्रमुख शासन सचिव

10. श्रम कानूनों के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अनुज्ञा पत्र जारी करना एवं शुल्क प्राप्त करना

क्र. सं.	अधिनियम	सक्षम अधिकारी	शुल्क	वांछित दस्तावेज	प्रक्रिया	निस्तारण अवधि
1.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 पंजीयन, संशोधन, नवीनीकरण परिवर्तन आदि	श्रम निरीक्षक	कर्मचारी सं0 — रूपये बिना कर्मचारी — 25/– 1–2 — 60/– 3–5 — 100/– 6–10 — 150/– 11–20 — 250/– 21–50 — 625/– 51–100 — 1125/– 100 से अधिक — 3750/– पंजीयन/नवीनीकरण अतिरिक्त शुल्क (लेट फीस):– देय शुल्क का 50 प्रतिशत प्रति तिमाही संशोधनः– कर्मचारी संख्या में परिवर्तन – फीस का अन्तर अन्य संशोधन/परिवर्तन– 50/– डुप्लीकेट – 20/– रूपये	**पंजीयनः–**फार्म नं0–1,7,13,15 विजिटबुक, शपथ पत्र। **नवीनीकरणः–** फार्म नं0–5 **संशोधन/ नामांतरणः–** फार्म नं0–4 **डुप्लीकेटः–** सामान्य प्रार्थना पत्र।	संस्थान शुरू करने के 30 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में क्षेत्र से संबंधित सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। **नवीनीकरण :–** पंजीयन की वैधता की अन्तिम तिथि के 30 दिवस में निर्धारित शुल्क के साथ प्रपत्र में आवेदन किया जावे। **संशोधन/नामांतरणः** निर्धारित प्रपत्र में देय शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जावे। **डुप्लीकेटः–** निर्धारित शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे।	10 दिवस

2.	ठेका श्रम(विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम,1970) पंजीयन अनुज्ञा–पत्र जारी करना, नवीनीकरण सिक्योरिटी राशि की वापसी	क्षेत्रीय उप /सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम कल्याण अधिकारी	मुख्य नियोजक का पंजीयन कर्मचारी सं0 — रूपये 20 तक — 100/– 21–50 — 250/– 51–100 — 500/– 101–200 — 1000/– 201–400 — 2000/– 400 से अधिक — 2500/– लाईसेन्स/नवीनीकरण(ठेकेदार द्वारा) कर्मचारी सं0 — रूपये 20 तक — 25/– 21–50 — 60/– 51–100 — 125/– 101–200 — 250/– 201–400 — 500/– 400 से अधिक — 625/– लेटफीसः– देय शुल्क का 25 प्रतिशत	आवेदन प्रपत्र–I आवेदन प्रपत्र–IV एवं मुख्य नियोजक का प्रमाण पत्र प्रपत्र V	**पंजीयनः–** कार्य शुरू करने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में देय शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जावे। **अनुज्ञा पत्र जारी करना** कार्य शुरू करने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में देय शुल्क एव सिक्योरिटी राशि चालान के जरिये बैंक में जमा करवाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे। **नवीनीकरणः–** अनुज्ञापत्र की वैधता की अन्तिम तिथि के 2 माह पूर्व अर्थात 31 अक्टूबर तक निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया जावे। **सिक्योरिटी राशि की वापसीः–** कार्य समाप्त होने पर मुख्य नियोजक से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे।	10 दिवस 30 दिवस
3.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना, एवं नवीनीकरण संशोधन नामान्तरण डुप्लीकेट	क्षेत्रीय संयुक्त/उप / सहायक श्रम आयुक्त	पंजीयन/नवीनीकरण कर्मचारी सं0 — रूपये 2–5 तक — 100/– 6–25 — 500/– 26–50 — 1000/– 51–100 — 2000/– 101–250 — 5000/– 251–500 — 10000/– 501–750 — 15000/– 751–1000 — 20000/– 1001–1500 — 30000/– 1500 से अधिक — 2000/–प्रति 100 कर्मचारी लेटफीसः– देय शुल्क का 25 प्रतिशत संशोधनः– 25/– + पंजीयन शुल्क का अन्तर डुप्लीकेटः– 25/– रूपये	आवेदन प्रपत्र–I	**पंजीयनः–** संस्थान शुरू करने से कम से कम 30 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में देय शुल्क के साथ 2 प्रतियों में आवेदन। **नवीनीकरणः–** पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता की अन्तिम तिथि से कम से कम 60 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में देय शुल्क के साथ आवेदन करें। **नामान्तरणः–** कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। **डुप्लीकेटः–** देय शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे।	10 दिवस
4.	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुज्ञा–पत्र जारी करना एवं नवीनीकरण संशोधन, डुप्लीकेट	क्षेत्रीय संयुक्त/उप / सहायक श्रम आयुक्त	मुख्य नियोजक का पंजीयन कर्मचारी सं0 — रूपये 5–20 — 75/– 21–50 — 175/– 51–100 — 375/– 101–200 — 750/– 201–400 — 1500/– 400 से अधिक — 2000/–	आवेदन प्रपत्र–I लाईसेन्सः– आवेदन प्रपत्र–IV एवं मुख्य नियोजक का प्रमाण पत्र प्रपत्र VI नवीनीकरणः– प्रपत्र– IX संशोधन/ डुप्लीकेटः– सामान्य प्रार्थना पत्र	**पंजीयनः–** पंजीयन हेतु आवेदन 3 प्रतियों में निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावे। **लाईसेन्स प्राप्तिः–** लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदन 3 प्रतियों में मुख्य नियोजक से प्रपत्र VI में प्राप्त प्रमाण पत्र एवं निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावे। **नवीनीकरणः–** निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देय शुल्क के साथ लाईसेन्स की वैधता समाप्त होने के 30 दिन पहले प्रस्तुत किया जावे। **संशोधन/डुप्लीकेटः–** कारण बताते हुए आवश्यक शुल्क के	10 दिवस

			लाईसेन्स / नवीनीकरण (ठेकेदार द्वारा) कर्मचारी सं0 — रूपये 5—20 — 25 / — 21—50 — 50 / — 51—100 — 100 / — 101—200 — 200 / — 201—400 — 400 / — 400 से अधिक — 500 / — संशोधन :— देय शुल्क का अन्तर डुप्लीकेटः— 100 / — रूपये		साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे।	
5.	बीड़ी सिगार कर्मकार, (नियोजन की शर्तें) अधिनियम,1966 अनुज्ञा पत्र जारी करना / नवीनीकरण करना, डुप्लीकेट जारी करना,	क्षेत्रीय संयुक्त / उप / सहायक श्रम आयुक्त	अनुज्ञा पत्र जारी करना / नवीनीकरण करना कर्मचारी सं0 — शुल्क (रूपये): पावर वाले संस्थान — बिना पावर वाले संस्थान 10 तक — 100 — 75 11—20 — 200 — 150 21—50 — 450 — 325 51—100 — 850 — 600 101—250 — 1625 — 1375 250 से अधिक — 2900 — 2650	आवेदन प्रपत्र—I मय भवन प्लान **नवीनीकरणः—** प्रपत्र सं0—1, **डुप्लीकेटः—** सामान्य प्रार्थना पत्र।	**पंजीयनः—** निर्धारित प्रपत्र में 2 प्रतियों में आवेदन मय भवन प्लान निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावे। **नवीनीकरणः—** मूल प्रमाण पत्र मय निर्धारित शुल्क के प्रस्तुत किया जावे। **डुप्लीकेटः—** निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन	10 दिवस
6.	ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना नियमों में संशोधन का पंजीयन करना	पंजीयकः संयुक्त श्रम आयुक्त (I.R.) राज. एवं समस्त क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त	पंजीयन शुल्क 100 / — रूपये	आवेदन प्रपत्र—अ मय शिड्यूल I, II, III	प्रपत्र—अ में आवेदन पत्र शिड्यूल I, II, III में दिए गए दस्तावेजों के साथ पेश किया जावे।	15 दिवस
7.	औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 स्थाई आदेशों का प्रमाणीकरण / संशोधन	अति. श्रमायुक्त राज.संयुक्त श्रम आयुक्त(I.R.) संयुक्त श्रम आयुक्त(विधि)	कोई शुल्क देय नहीं है।	आवेदन प्रपत्र—I	3 प्रतियों में प्रस्तुत किये जावेंगे। एक प्रति संस्थान की यूनियन / यूनियन्स को भेजकर उनसे आपत्ति / सुझाव लेकर दोनों पक्षों को सुनकर आवश्यक संशोधन के बाद स्थाई आदेश प्रमाणित किए जावेंगे।	60 दिवस

श्रम विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाले नागरिक

श्रम विभाग के कार्यक्षेत्र में मुख्य रूप से श्रमिक एवं उनके आश्रित / श्रमिक संघ / नियोजक आते हैं।

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत श्रमिकों / आश्रितों के अधिकार।

औ0वि0अधि0,1947 :—

1. शिकायत प्रस्तुत करने एवं शिकायत / विवाद में प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार
2. शिकायत के समर्थन में साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार
3. दोषी नियोजक के विरूद्ध अभियोजन का अधिकार
4. छंटनी, मुआवजा, बन्द, ले—ऑफ आदि स्थितियों में मुआवजा पाने का अधिकार

न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948

1. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन पाने, साप्ताहिक अवकाश एवं अधिसमय कार्य का दोगुना भुगतान पाने का अधिकार। वर्तमान में अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 100/–, 107/–, 115/– रूपये प्रतिदिन है।
2. वेतन पर्ची पाने का अधिकार।

वेतन भुगतान अधिनियम,1936 (रूपये 10000/– प्रतिमाह की वेतन सीमा तक लागू)

1. निर्धारित समय पर वेतन, वेतन पर्ची पाने व देरी होने पर क्षतिपूर्ति सहित वेतन पाने का अधिकार।

वेतन में से अनाधिकृत कटौती अथवा वेतन भुगतान नहीं करने की स्थिति में दावा पेश करने पर पूर्ण राशि मय मुआवजा पाने का अधिकार।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम,1923

1. श्रमिक की कार्य के दौरान एवं नियोजन से उद्भुत दुर्घटना के परिणाम स्वरूप अक्षमता कारित होने पर मुआवजा राशि, मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को मुआवजा पाने का अधिकार
2. दुर्घटना तिथि से 30 दिवस की अवधि में नियोजक से मुआवजा राशि प्राप्त करने तथा देरी के मामलों में ब्याज व पैनल्टी प्राप्त करने तथा मुआवजा नहीं मिलने पर प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश करने का अधिकार।

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम,1958

(दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों, होटल, रेस्टोरेन्ट्स, सिनेमा, थियेटर आदि पर अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू)

1. श्रमिकों का निर्धारित समय पर नियमानुसार वेतन, साप्ताहिक अवकाश, सवैतनिक अवकाश एवं अधिसमय–कार्य का दोगुना भुगतान आदि पाने का अधिकार।
2. अधिनियम की धारा 28 ए के अंतर्गत 6 माह कार्य करने के पश्चात् बिना किसी युक्तिसंगत कारण के सेवामुक्ति के मामलों में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार।

बोनस भुगतान अधिनियम,1965 (पावर संचालित संस्थानों में 10 या अधिक तथा बिना पावर संचालित संस्थानों में 20 या अधिक श्रमिक नियोजित होने पर लागू)

1. पात्र संस्थानों में लेखावर्ष में न्यूनतम 30 दिन के कार्य तथा 10000/– रूपये माहवार तक वेतन पाने वाले कामगार का बोनस पाने, तथा भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार।

उपदान संदाय अधिनियम,1972 (10 या अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों पर लागू)

1. पात्र संस्थानों में 5 वर्ष या अधिक निरन्तर सेवाऐं देने वाले श्रमिकों का सेवामुक्ति/ सेवानिवृति तिथि से 30 दिवस के अन्दर उपादान(ग्रेच्यूटी) पाने का अधिकार।
2. ग्रेच्यूटी भुगतान नहीं होने पर दावा प्रस्तुत करने व देरी की स्थिति में ग्रेच्युटी मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकार।

समान पारिश्रमिक अधिनियम,1976 (शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों,नर्सिंग होम व अन्य अनुसूचित नियोजनों पर लागू)

1. महिला श्रमिक को समान कार्य के लिए पुरूष श्रमिक के समान वेतन एवं समान सेवा लाभ प्राप्त करने व इस संबंध में शिकायत/दावा पेश करने का अधिकार।

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट,1961 (दो या अधिक कर्मकारों वाले मोटर ट्रांसपोर्ट संस्थानों पर लागू)

1. श्रमिकों का निर्धारित समय पर वेतन, साप्ताहिक अवकाश एवं अधिसमय कार्य का दुगुनी दर से भुगतान व 14–18 वर्ष तक के अल्प वयस्क से अधिकतम 6 घण्टे तथा वयस्क से 8 घण्टे से अधिक(आधा घण्टा विश्राम सहित) काम नहीं लिए जाने का अधिकार।
2. अल्प वयस्क के कार्य विस्तार को अधिकतम 9 घण्टे तथा वयस्क के कार्य विस्तार को 14 घण्टे से अधिक नहीं किये जाने व अल्प वयस्क को 15 दिन एवं वयस्क को 20 दिन कार्य करने पर एक दिन का सवैतनिक अवकाश, केन्टीन, विश्राम कक्ष, यूनीफार्म, चिकित्सा आदि सुविधाऐं पाने का अधिकार।

ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970

(ठेकेदार/मुख्य नियोजक द्वारा 20 या अधिक श्रमिक नियोजित किये जाने पर लागू)

1. ठेका श्रमिकों द्वारा किसी भी संस्थान में समान कार्य के लिए मुख्य नियोजक द्वारा सीधे नियोजित अन्य श्रमिकों के समान कार्यघण्टे एवं कार्य–दशाओं का अधिकार।
2. निर्धारित समय पर वेतन एवं अधिसमय कार्य के लिए दोगुनी दर से भुगतान, केन्टीन, रात्रि विश्राम की स्थिति में विश्राम कक्ष, प्राथमिक उपचार, पीने का पानी, शौचालय आदि सुविधाऐं पाने का अधिकार
3. नियोजक से नियोजन कार्ड प्राप्त करने एवं नियोजन समाप्ति पर सेवा प्रमाणीकरण का अधिकार।

बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986

(बाल श्रमिक वह है जिसकी उम्र 14 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है तथा जो वेतन के लिए कार्य करता है)

1. जोखिमपूर्ण व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबन्ध लगवाने एवं गैर जोखिमपूर्ण व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में सेवाओं का नियमन का अधिकार।
2. गैर जोखिमपूर्ण व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में बाल श्रमिक से प्रातः8.00–सायं 7.00 बजे तक 6 घण्टे से अधिक कार्य नहीं लिए जाने तथा 3 घण्टे निरन्तर कार्य के बाद एक घण्टे विश्राम का अधिकार।
3. बाल श्रमिकों से अधिसमय कार्य नहीं लेने, साप्ताहिक अवकाश, शिक्षा एवं पुनर्वास का अधिकार, समान कार्य के लिए वयस्क श्रमिक के समान वेतन पाने का अधिकार।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम–1961

(सभी कारखानों, खदानों, प्लान्टेशन, सर्कस एवं दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान आदि पर लागू)

1. मातृत्व हितलाभ प्राप्त करने एवं प्रसूति काल में कार्य नहीं लिए जा सकने का अधिकार
2. मृत्यु की स्थिति में मातृत्व हितलाभ, मैडीकल बोनस, मिसकैरिज एवं नसबन्दी ऑपरेशन या प्रसूति संबंधी बीमारियों में सवैतनिक अवकाश प्राप्त करने का अधिकार।
3. शिशुओं को दूध पिलाने के लिए विश्राम एवं गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान सेवा से नहीं हटाये जा सकने का अधिकार

व्यवसाय संघ अधिनियम,1926

1. किसी भी संस्थान में कार्यरत कम से कम 10 प्रतिशत अथवा 100 श्रमिकों(जो भी कम हो) का संगठित होकर व्यवसाय संघ बनाने का अधिकार (न्यूनतम 7 सदस्य अनिवार्य हैं)
2. व्यवसाय संघ द्वारा श्रमिकों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों के मामलों में विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही करने का अधिकार व संस्थान में कार्यरत किसी भी संघ में सम्मिलित होने का अधिकार।
3. संघ तथा सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों के मामले उठाने, न्यायिक कार्यवाही करने का अधिकार व सदस्यों को अधिनियम एवं विधान के उल्लंघन की स्थिति में निलम्बित करने अथवा निष्कासित करने, संघों के पंजीयन को निरस्त/विघटन कराने का अधिकार।

बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें)अधिनियम,1966

1. श्रमिकों का निर्धारित समय पर नियमानुसार वेतन, साप्ताहिक अवकाश, सवैतनिक अवकाश तथा अधिसमय कार्य का दोगुना भुगतान पाने का अधिकार।
2. विश्राम अवधि को सम्मिलित करते हुए एक दिवस में बिना अधिसमय के 9 घण्टे तथा अधिसमय सहित 10 घण्टे से अधिक कार्य नहीं लिए जाने, महिलाओं एवं किशोरों से प्रातः 6.00 बजे से पूर्व एवं सायं 7.00 बजे पश्चात् कार्य न लिए जाने व बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं किए जाने का प्रावधान।
3. कार्य स्थल पर स्वच्छ हवा, प्रकाश पेयजल, शौचालय, शिशुगृह, प्राथमिक उपचार, केन्टीन आदि सुविधाओं का पाने का अधिकार एवं सदस्यों के हितों के लिए विवाद प्रस्तुत करने का अधिकार।

औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम,1946 (50 या अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों पर लागू)

1. श्रमिकों की सेवा शर्तों संबंधी नियमों को स्थाई आदेश के रूप में प्रमाणित करवाने हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार एवं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार।
2. श्रमिक प्रतिनिधि सम्मिलित कराने का अधिकार।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम,1979

(किसी भी संस्थान में 5 या अधिक कर्मकार नियोजित करने पर लागू)

1. प्रवासी कर्मकारों का संस्थान में कार्यरत अन्य श्रमिकों के समान वेतन, साप्ताहिक अवकाश एवं अन्य सुविधाऐं व नियुक्ति के समय विस्थापन भत्ता पाने का अधिकार।
2. राज्य में निवास स्थल से दूसरे राज्य में कार्य स्थल तक आने जाने का यात्रा व्यय पाने व यात्रा अवधि को कार्यावधि मानते हुए उसकी मजदूरी पाने का अधिकार व नियोजन के दौरान समुचित आवास एवं चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार।

विक्रय बढ़ोतरी कामगार (सेवा की शर्तें) अधिनियम,1976

(औषधि निर्माण करने वाले औद्योगिक संस्थानों पर लागू)

1. नियुक्ति आदेश, उपार्जित अवकाश एवं अर्द्ध वेतनिक अवकाश पाने का अधिकार।
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, उपादान संदाय अधिनियम के तहत देय हितलाभ पाने का अधिकार।

कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य कामगार (सेवा की शर्तें) एवं विविध प्रावधान अधिनियम,1955

1. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वेतन पाने, साप्ताहिक, आकस्मिक, उपार्जित एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश एवं नियमानुसार ग्रेच्यूटी पाने का अधिकार

बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम,1976

1. बंधक श्रम (उत्सादन) पद्धति अधिनियम,1976 के अंतर्गत श्रमिक को बंधक श्रमिक के रूप में नियोजित नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के तहत मुक्त कराये गये प्रत्येक बंधक श्रमिक का 1000 रूपये तात्कालिक सहायता एवं 19000 रूपये संसाधन हेतु सहायता प्राप्त करने एवं आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास का अधिकार।

विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारियों/कार्मिकों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	दूरभाष	सम्पादित कार्य
1.	श्रम आयुक्त, राजस्थान	2450781,	विभागाध्यक्ष
2.	अति0 श्रम आयुक्त, राजस्थान,	2450782	औ0वि0अधि0 के तहत वसूली कार्यवाही, अभियोजन स्वीकृति तथा ग्रेच्यूटी एक्ट के तहत अपीलीय प्राधिकारी का कार्य एवं अन्य प्रशासनिक कार्य

3.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त(औ0सं0), राज0	2450783	औद्योगिक संबंध एवं रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन संबंधी कार्य।
4.	संयुक्त श्रम आयुक्त(विधि), राज0	2450783	विधि संबंधी कार्य।
5.	संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर	2220369	विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत प्राधिकारी कार्य, औ0वि0अधि0 के तहत समझौता अधिकारी का कार्य एवं सम्भाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का पर्यवेक्षण कार्य व सामान्य प्रशासकीय कार्य।
6.	संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, अजमेर	2429442	......उपरोक्तानुसार........
7.	संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर	2544142	......उपरोक्तानुसार........
8.	संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर	2561529	......उपरोक्तानुसार........
9.	संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, बीकानेर	2226781	......उपरोक्तानुसार........
10.	संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा	2324176	......उपरोक्तानुसार........
11.	संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, भरतपुर	222708	......उपरोक्तानुसार........

शिकायत निवारण प्रक्रिया

यदि किसी मामले में श्रमिक, ट्रेड यूनियन अथवा नियोजक को विभाग अथवा विभागीय अधिकारियों से कोई शिकायत होती है तो वह प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है:–

1. अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारियों के समक्ष शिकायतें/विवाद प्रस्तुत करना।
2. उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कराना।
3. न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में अधिनियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के तहत दावे प्रस्तुत करना व दावों में निर्णयों से असंतुष्टि की स्थिति में अपील/रिट याचिका प्रस्तुत करना।

प्रशासनिक कार्यों के संबंध में कोई भी संबंधित पक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है और उससे संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार न्यायिक मामलों में दावे प्रस्तुत किये जा सकते हैं और असंतुष्टि की स्थिति में अपील अथवा रिट याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।

राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत श्रम विभाग में सामान्य शिकायतों के निस्तारण के लिए श्रम आयुक्त कार्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जो कि एक वरिष्ठ अधिकारी की देख–रेख में कार्यरत है। कोई भी व्यक्ति विभाग के क्रियाकलाप के संबंध में उक्त प्रकोष्ठ में अपनी शिकायत व्यक्तिगत रूप से, डाक से, अथवा टेलिफोन या फैक्स के माध्यम से दर्ज करा सकता है। उक्त शिकायत पर संबंधित अधिकारी से अविलम्ब कार्यवाही करा कर निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है।

1. **शिकायत प्रकोष्ठ** का पता निम्नानुसार है :–
   उप श्रम आयुक्त(अभियोजन), प्रभारी (शिकायत निवारण प्रकोष्ठ), श्रम आयुक्त कार्यालय,
   शान्ति नगर, हसनपुरा, जयपुर। फोन नं0– 2450783, 2450784

2. विभाग में **जन अभाव अभियोग/जन समस्याओं** का निस्तारण की कार्यवाही त्वरित गति से की जाती है। इस संबंध में नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:–
   अतिरिक्त श्रम आयुक्त,कार्यालय श्रम आयुक्त, शान्ति नगर, हसनपुरा, जयपुर।
   फोन नं0– 2450782, फैक्स नं0– 0141–2450782

3. **सूचना के अधिकार** के अंतर्गत सूचनाऐं प्रदान करने हेतु विभाग में मुख्यालय स्तर पर प्रकोष्ठ गठित है श्रम आयुक्त, राजस्थान राज्य लोक सूचना अधिकारी अधिसूचित हैं। सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित व्यक्ति निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रकोष्ठ में प्रस्तुत कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। इस हेतु विभाग की वेबसाईट–www.rajlabour.nic.in से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

4. **विशेष मामलों में** विभाग या विभागीय अधिकारी/कर्मचारी से संबंधित शिकायत सीधे श्रम आयुक्त के समक्ष भी प्रस्तुत की जा सकती है। जिनका पता निम्नानुसार है:–
   श्रम आयुक्त राजस्थान, शान्ति नगर, हसनपुरा, जयपुर।
   फोन नं0– 2450781, फैक्स नं0–0141–2450781